न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग
पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश नारायन मुथिरिया R.A.S.

अपील सं० 6/16 (223RTA)

1. रामवती पत्नि छीतरसिंह
2. महेन्द्र
3. यादराम
4. मुरारी
5. महेश
6. जगदीश

(2–6) पिसरान छीतरसिंह

जाति जाटे ठाकुर निवासी घरवारी तहसील डीग

7. भगवती पुत्री छीतरसिंह पत्नि डेबीसिंह जाति जाटे ठाकुर निवासी हाल आजनौक बरसाना जिला मथुरा (उ०प्र०)
8. नथिया पुत्री छीतरसिंह पत्नि धनपाल जाति जाटे ठाकुर निवासी मलाहा भरतपुर जिला भरतपुर
9. मुन्नी पुत्री छीतरसिंह पत्नि राजवीरसिंह जाति जाटे ठाकुर निवासी ग्राम आजनौक बरसाना तहसील बरसाना जिला मथुरा (उ० प्र०)
10. उर्मिला पुत्री छीतरसिंह पत्नि हवसीसिंह जाति जाटे ठाकुर निवासी मलाहा भरतपुर जिला भरतपुर --- अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लालाराम
2. बहादुर पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कठेरा चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर
3. तहसीलदार साहब तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

--- रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 14.10.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर डीग उनवानी छीतरसिंह बनाम रामसिंह मुकदमा सं० 128/2004

अपील सं० 7/16 (223 RTA)

गिर्राज पुत्र खेड़ा जाति जाट निवासी कठेरा-थोथ तहसील डीग जिला भरतपुर ---- अपीलांट वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लालाराम
2. बहादुर पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कठेरा-थोथ तहसील डीग जिला भरतपुर
3. तहसीलदार साहब तहसील डीग प्रतिनिधि राज० सरकार

--- रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 14.10.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर डीग उनवानी गिर्राज बनाम रामसिंह मुकदमा सं० 132/2004

अपील सं० 8/16 (223 RTA)

1. महेन्द्र
2. यादराम
3. मुरारी

पिसरान छीतरसिंह

4. गिर्राज पुत्र खेड़ा

जे० एन० पचुरिया
... अपील प्राधि...

5. भगवत
6. गुलाबसिंह | पिसरान गिर्राज पुत्र धेड़ा जाति जादो ठाकुर
7. प्रताप | निवासी धरवारी तहसील डीग

8. योगेश पुत्र गुलाबसिंह जाति जाट निवासी कठेरा-चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर ... अपीलांटस।

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कठेरा-चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर ... असल रेस्पोडेंट वादी

2. बहादुर पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कठेरा-चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर ... तरतीबी रेस्पो०

अपील विरुद्ध डिक्री व निर्णय दिनांक 14.10.15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर डीग उनवानी रामसिंह बनाम हीतर मुकदमा संख्या 13/2004

राजस्व अपील अधिकारी (भरतपुर) कैम्प-डीग

1. अपीलांट वकील :- श्री समयसिंह एड०
2. रेस्पोडेन्ट वकील :- गोकलचंद शर्मा एड०

निर्णय

दिनांक 19.7.2017

उक्त अपील अपीलार्थी गण द्वारा इस आशय की पेश की गयी है। कि आराजी ख०नं० 409/0.17, 413/0.25, 450/0.19, 477/0.33 वाके ग्राम धरवारी तहसील डीग मे स्थित है। जिन्हे आगे विवादित

मथुरिया

आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उक्त अपीले पेश की गयी है। सभी अपीलों की विषय वस्तु एक निर्णय के कारण इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

अपीले दर्ज कर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिस पर मनवर के अनुसार उभय पक्ष काबिज है। लेकिन सम्पूर्ण आराजी राजस्व रिकार्ड मे प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण का वाद घोषणा का था। जबकि प्रत्यर्थीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का था। अधि० न्यायालय ने अपीलार्थीगण के वाद खारिज कर दिये है जबकि उनके द्वारा अपना पक्ष बखूबी साबित किया है। और इसी प्रकार कब्जा ना होते हुये भी प्रत्यर्थीगण का वाद डिक्री कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण को उनके हिस्से की आराजीयात पर खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रत्यर्थीगण के पक्ष मे जारी स्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जावे।

बचाव मे वकील प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी ना तो पुश्तैनी है. और ना ही

विवादित आराजी मे अपीलार्थी का कोई हक है। प्रत्यर्थीगण अपने नाम अंकित आराजी मे बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः सभी अपीलें खारिज की जावे।

बहस उभय पक्ष एवं दस्तावेजात से प्रकट है कि विवादित आराजी या तो प्रत्यर्थीगण की अकेले की है। अथवा वे इस मे सहखातेदार है। कब्जे का प्रश्न कहीं भी दस्तावेजात से साबित नहीं किया गया है। अतः कब्जा उसी का माना जावेगा जिसका नाम रिकार्ड मे अंकित है। उक्त विवेचन के अनुसार अधी० न्यायालय के निर्णय मे कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से सभी अपीलें खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-डीग

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील प्राधि०
भरतपुर कैम्प-डीग

यह आदेश आज दिनांक 19.7.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील प्राधि०
भरतपुर कैम्प-डीग

डिकरी व सीगे अपील

(ऑं. 41, रूल 35, जा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

व इजलास ..... श्री जगदीश नारायण मथुरिया R.A.A. .....

गिर्राज पुत्र येदा जाति जाट निवासी ..... बनाम ..... 1. रामसिंह पुत्र लालाराम
कठेरा-चौंप तहसील डीग जिला भरतपुर -- अपी० 2. बहादुर पुत्र लालाराम जाति जाट नि० कठेरा-चौंप तह० डीग जिला भरतपुर

अपील सं. ..... 7/16 ..... सन् ..... व नाराजगी डिकरी अदालत ..... S.D.O/A.C.M.

..... मुकाम ..... डीग ..... दिनांक ..... 14 ..... माह 10 2015

3. तहसीलदार डीग -- रेस्पोन्डेन्ट्स

दावा बावत

यह अपील व तारीख ..... 19 ..... माह ..... 7 ..... सन् 2017

व हमारे ..... श्री रामपालसिंह ..... मिनजानिब अपीलान्ट व ..... श्री गोकलचंदशर्मा

..... रेस्पोडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि ..... अपील अपीलांट

खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील का हस्य तफसील जेर तादादी मुबलिग .....) रुपये .....

अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का ..... अदा करें।

बशरत मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ..... 19 ..... माह 7 2017

को जारी किया गया।

मुहर हस्ताक्षर
ओहदा

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-डीग

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रु०	पै०	रेस्पाडेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालतनामा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2.		
3. [illegible]					